अध्याय-IV

वित्तीय प्रबंधन

एम.डी.एम. योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यक्रम स्वीकृति बोर्ड द्वारा राज्यों के ए.ड्ब्ल्यू.पी. एवं बी. की स्वीकृति के पश्चात, मंत्रालय, राज्य सरकार/सं.शा.क्षे. प्रशासन के पास उपलब्ध अव्ययित शेषो, जो पिछले वर्ष के निर्गमों के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं है, के तहत प्रत्येक वर्ष अप्रैल/मई में केन्द्रीय सहायता की प्रथम किश्त जारी करता है। मंत्रालय, प्रथम किश्त से किए गए व्यय की प्रगति के आधार पर, सितंबर/अक्तूबर में दूसरी किश्त जारी करता है। विधि प्रवाह चार्ट नीचे दिया गया है:

बजट अनुमान तथा व्यय

जी.एफ.आर. का नियम 48(2) परिशिष्ट 2, बजट तैयार करने का निर्देशन प्रदान करता है तथा बताता है कि बजट को उचित ध्यान के साथ तैयार किया जाना चाहिए। 2009-10 से 2013-14 के दौरान बजट अनुमानों, निर्गमों तथा व्यय के विवरण नीचे तालिका 4.1 में दिए गए हैं:

तालिका 4.1: बजट अनुमान तथा व्यय के विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान (आर.ई.)	जारी किए	व्यय	आर.ई. के संबंध में आधिक्य(+)/ कमी(-)	निर्गमोंके संबंध में आधिक्य(+)/ कमी(-)
2009-10	8000.00	7359.15	6937.26	5621.67	(-)1737.48 (24 *प्रतिशत*)	(-) 1315.59 (19 *प्रतिशत*)
2010-11	9440.00	9440.00	9124.52	7786.56	(-) 1653.44 (18 *प्रतिशत*)	(-) 1337.96 (15 *प्रतिशत*)
2011-12	10380.00	10239.01	9890.72	9235.82	(-)1003.19 (10 *प्रतिशत*)	(-) 654.90 (6.62 *प्रतिशत*)

2012-13	11937.00	11500.00	10858.16	10196.98	(-) 1303.02 (11 *प्रतिशत*)	(-) 661.18 (6 *प्रतिशत*)
2013-14	13215.00	12189.16	10910.35	10873.75	(-) 1315.41 (10.79 *प्रतिशत*)	(-) 36.60 (0.34 *प्रतिशत*)
	कुल	**50727.32**	**47721.01**	**43714.78**	**(-) 7012.54**	**(-) 4006.23**

(स्त्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत ब्यौरे)

उपर्युक्त से यह देखा जा सकेगा कि:

(i) 2009-10 से 2013-14 के दौरान बजट अनुमानों के 10 से 24 प्रतिशत के बीच निरंतर बचते थीं।

(ii) निरंतर बचते दर्शातीं हैं कि बजट बनाने की प्रक्रिया अवास्तविक थी।

बचतो के मुख्य कारण, अनाज का अधिक आबंटन, प्रबंधन, मानीटरिंग एवं मूल्यांकन (एम.एम.ई.) निधि का कम उपयोग, परिवहन लागत, आदि थे।

4.1 विभिन्न स्तरों पर निधियों को जारी करने में बिलम्ब

दिशानिर्देशों का पैरा 3.3(ii) तथा (iii) अनुबंध करता है कि राज्य वित्त विभाग को एम.डी.एम. हेतु प्रत्याशित निधियों को अविलम्ब जारी करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, जहां कहीं संभव हो राज्यों/सं.शा.क्षे. प्रशासनों को बैकिंग चैनलों के माध्यम से राज्य से ग्राम स्तर तक निधियों के इलेक्ट्रनिक अंतरण पर विचार करे। लेखापरीक्षा ने विभिन्न स्तरों अर्थात् राज्य वित्त विभाग से नोडल विभाग को, नोडल विभाग से राज्य में जिला/ब्लॉक/विद्यालय स्तर पर विभिन्न कार्यान्वयन प्राधिकरणों को निधियों के निर्गम में विलम्ब के कुछ अवसर पाए थे, जैसा अनुबंध-XV में दर्शाया गया है। विभिन्न स्तरों पर निधियां जारी करने में विलम्ब, विद्यालयों में बच्चों को भोजन प्रदान करने में बाधा का कारण बना। निधियों के निर्गम में विलम्ब विभिन्न अनियमितताओं का कारण बना जैसा नीचे तालिका 4.2 में दिया गया है:

तालिका 4.2 निधियों के निर्गम में विलम्ब के मामले

क्र.सं.	राज्य	लेखापरीक्षा निस्कर्ष
1.	अरूणाचल प्रदेश	नमूना जांच किए गए जिलों (पपूमपरे, पर्व सियांग तथा पश्चिम कायेगं) में विभागीय अधिकारियों के साथ संयुक्त भौतिक सत्यापन ने प्रकट किया कि एम.डी.एम. योजना प्रदान करने में बाधा से बचने हेतु शिक्षकों ने स्थानीय भण्डारों से भोजन पकाने की मदों का प्रापण किया तथा अपनी स्वंय के जेब से अथवा क्रेडिट आधार पर रसोइया-सह-सहायकों को मानदेय

		का भुगतान भी किया था।
2.	असम	निधियों अर्थात् भोजन पकाने की लागत को जारी करने में विलम्ब के कारण भोजन प्रदान किए जाने हेतु दिवसों को पूरा नहीं किया जा सका था।
3.	जम्मू एवं कश्मीर	कूपवारा, लेह तथा कारगिल जिलों में 2010-11 के दौरान ₹1.76 करोड़ की निधियों का भोजन पकाने की लागत के प्रति, विद्यालय स्थानीय निधियों से विपथन किया गया था इसी प्रकार, जम्मू में ₹7.48 करोड़ की सीमा तक की निधियों का विद्यालय स्थानीय निधियों में से भोजन पकाने की लागत संघटक पर व्यय किया गया था। परिणामस्वरूप, योजना निधियां, जिन्हे विलम्ब से प्राप्त किया गया था, वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर ₹ 8.12 करोड़ की सीमा तक अप्रयुक्त रही।
4.	पंजाब	मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2011-12 हेतु ₹50 करोड़ तथा ₹25.16 करोड़ की अनुदान संस्वीकृत की थी। अप्रैल 2012 में, महा प्रबंधक, एम.डी.एम. सैल, पंजाब सरकार को सूचित किया कि 2011-12 के दौरान जारी किए गए ₹75.15 करोड़ राज्य वित्त विभाग द्वारा एम.डी.एम. को इन निधियों को जारी न किए जाने के कारण 01.04.2012 तक अप्रयुक्त रहे। महा प्रबंधक ने इस राशि को वर्ष 2012-13 हेतु पुन: मान्य करने का अनुरोध भी किया। राज्य सरकार ने वर्ष 2012-13 हेतु निधियां जारी करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए व्यय सूचित किया। जिसमें यह राशि भी शामिल थी। इस प्रकार, राज्य सरकार ने वर्ष 2011-12 हेतु व्यय को गलत पुस्तुत किया था। व्यय को गलत सूचित करने हेतु कारण की मांग करने पर राज्य सरकार ने स्पष्ट किया कि ₹75.15 करोड़ की निधियां जुलाई 2012 में उस व्यय हेतु जारी की गई थीं जिसे क्रेडिट आधार पर राज्य में एम.डी.एम. योजना को जारी रखने हेतु दुकानदारों से ऋण लेकर पहले ही 2011-12 के दौरान किया जा चुका था। मंत्रालय ने 2012-13 में ₹75.15 करोड़ की निधियों का उपयोग करने की अपनी स्वीकृति अक्तूबर 2012 में प्रदान की। एम.डी.एम. दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य सरकार भोजन पकाने की लागत हेतु सहायता के प्रति पर्याप्त बजटीय प्रावधानों को सुनिश्चित करने तथा कार्यक्रम के सभी संघटकों अर्थात् भोजन पकाने की लागत, अवसंरचना, रसोईघर उपकरणों का प्रापण आदि के प्रति निधियों के सामयिक प्रवाह हेतु प्रणालियॉ स्थापित करने हेतु उत्तरदायी थी। इसके अतिरिक्त, किसी भी राज्य में क्रेडिट आधार पर एम.डी.एम. योजना को चलाने की कोई शर्त नहीं थी। इस प्रकार, राज्य वित्त विभाग, पंजाब एम.डी.एम. सैल पजांब को समय पर निधियां जारी नहीं कर सका था तथा विद्यालय प्रशासन को क्रेडिट आधार पर योजना को जारी रखने को छोड़ा।
5.	त्रिपुरा	निधियों की कमी/अनुपलब्धता के कारण एम.डी.एम. क्रेडिट आधार पर जारी थी या अस्थायी रूप से समाप्त थी।

4.2 निधियों का विपथन

लेखापरीक्षा ने आठ राज्यों में कुल ₹123.04 करोड़ की निधियों के विपथन के उदाहरण पाए थे जो कमजोर वित्तीय नियंत्रणों तथा जवाबदेही की कमी को दर्शाते है। राज्य वार निधियों के विपथन की सीमा नीचे तालिका 4.3 में दी गई है:

तालिका 4.3 निधियों के विपथन के मामले

क्र.सं.	राज्य	विपथन की सीमा
1.	छत्तीसगढ़	रसोइघर शैड हेतु प्राप्त ₹ 5.84 लाख का अन्य विविध उद्देश्यों हेतु विपथन किया गया था
2.	कर्नाटक	राज्य मोडल विभाग ने, विद्युत प्रभारो को पूरा करने, यात्रा व्यय, लेखन सामग्री की खरीद तथा होटल व्यय को पूरा करने के, प्रति ₹6.85 लाख का विपथन किया था।
3.	मध्य प्रदेश	छ:[10] जिलों में ₹553.23 लाख को एम.डी.एम. से अलग उद्देश्य हेतु विपथन/उपयोग किया गया था जिसमें से ₹91.91 लाख की राशि की 31 मार्च 2014 तक प्रतिपूर्ति नहीं की जा सकी थी।
4.	महाराष्ट्र	2010-11 से 2013-14 के दौरान ₹91.78 करोड़ का भोजन पकाने की लागत हेतु राशि से विपथन किया गया था तथा ₹87.47 करोड़ का व्यय, बच्चो को सूडम-पुष्टिकर अनुपूरण प्रदान करने हेतु, किया गया था।
5.	ओडिशा	₹1.13 करोड़[11] का जून 2009 से जूलाई 2012 को बीच, वृद्ध आयु पेंशन के संवितरण, बाढ़ संचालन, सी.एम.आर.एफ. नरेगा हेतु विपथन किया गया था।
6.	पंजाब	₹41.00 लाख का 2012-13 के दौरान मुख्यालय कार्यालय के नवीकरण तथा किराए के प्रति विपथन किया गया था। विभाग ने बताया (अक्टूबर 2014) कि भुगतान उच्च प्राधिकारियों के अदेशानुसार किया गया था। उत्तर वैद्य नहीं है क्योंकि यह एक अनियमित कार्य को वैध ठहराने का प्रयास करता है। अन्य मामले में, मंत्रालय ने एल.पी.जी. आर्थिक सहायता हेतु आवर्ती केन्द्रीय सहायता के रूप में ₹21.81 करोड़ जारी किए (मार्च 2013)। राज्य सरकार ने 2012-13 के दौरान कार्यान्वयन अभिकरण को ₹21.81 करोड़ जारी किए, जिसमें में से ₹1.52 करोड़ का व्यय एल.पी.जी. आर्थिक सहायता की प्रतिपूर्ति पर किया गया था तथा शेष ₹20.29 करोड़ का भोजन पकाने की लागत के प्रति विपथन किया गया था।
7.	उत्तराखण्ड	दो जिलों में ₹2.66 करोड़ का 2010-11 से 2013-14 के दौरान एक सघंटक से अन्य को विपथन किया गया था।
8.	पुद्दुचेरी	₹5.42 करोड़ की केन्द्रीय सहायता का 2009-14 के दौरान राज्य कार्यक्रमों के अतंर्गत व्यय के संघटको को पूरा करने हेतु विपथन किया गया था।

[10] अनुपुर, भोपाल, धार, मंदसौर तथा सिद्धि

[11] ₹46.90 लाख बी.डी.ओ. अस्तरंगा द्वारा, ₹66.35 लाख बी.डी.ओ. सत्याबादी द्वारा

4.3 तिमाही प्रगति रिपोर्टों, उपयोग प्रमाणपत्रों तथा अव्ययित शेषों को सूचित करना

राज्य नोडल विभाग को अनाज की कुल खरीद पर मासिक रिपोर्टे, परिवहन आर्थिक सहायता के प्रति तिमाही दावे तथा विस्तृत प्रगति रिपोर्टों, (बच्चों के आवृतन, अवसंरचना के प्रावधान की प्रगति तथा तिमाही के अंत में केन्द्रीय सहायता के अव्ययित शेष के संबंध में), को मंत्रालय को प्रस्तुत करना था। अव्ययित शेष के संबंध में सूचना प्रस्तुत करने में विफलता केन्द्रीय सहायता के आगे के निर्गम को प्रभावित करेगी। रिटर्न, मंत्रालय द्वारा अनाज के अनुवर्ती आंबटन को सुविधा प्रदान करने तथा राज्यों में योजना के कार्यान्वयन को मानीटर करने हेतु भी आवश्यक थी।

उपयोग प्रमाणपत्रों को, आगामी वित्तीय वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था।

4.3.1 तिमाही प्रगति रिपोर्ट/यू.सी.

गोवा में, 2009-10 से 2013-14 की अवधि हेतु मा.सं.वि.मं. को प्रेषित ति.प्र.रि. से यह देखा गया था कि भोजन पकाने की लागत, परिवहन, मानीटरिंग एवं मूल्यांकन तथा रसोइया-सह-सहायक के संबंध में पिछली तिमाही का अंत अनुवर्ती तिमाही के अथ शेष से मेल नहीं खाता था। विभिन्नताएं ति.प्र.रि. में आगे बढ़ाई गई शेष राशियों तथा उनमें जिसे लेखापरीक्षा द्वारा निकाला गया था के बीच पाई गई थी जैसा नीचे ब्यौरा दिया गया है:

(₹ लाख में)

वर्ष	ति.प्र.रि. के अनुसार अंत शेष	परिकलित वास्तविक अंत शेष	अंतर	अभ्युक्तियां
2009-10	215.36	422.08	206.72	केन्द्रीय सहायता तथा राज्य का अंश
2010-11	51.26	234.74	183.48	(उपर्युक्त अनुसार)
2011-12	50.83	338.34	287.51	केवल केन्द्रीय सहायता
2012-13	62.86	273.22	210.36	(उपर्युक्त अनुसार)
2013-14	117.08	614.54	497.46	(उपर्युक्त अनुसार)

इस प्रकार, मंत्रालय को प्रस्तुत किये गये आंकड़े गलत थे।

नागालैण्ड- मंत्रालय ने 22 अप्रैल 2013 को वर्ष 2013-14 हेतु ₹7.34.16 लाख की तदर्थ अनुदान राशि जारी की थी। तदर्थ अनुदान को राज्य सरकार द्वारा जिलों को28 अगस्त 2013 को जारी किया गया था। जिलों ने 8 सितबंर 2013 को ब्लॉकों/विद्यालयों को निधियां जारी की। इस प्रकार, केन्द्र से ब्लॉक स्तर/विद्यालय तक निधियाँ पहुंचने में करीबन 4.5 महीनों का विलम्ब था। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने मंत्रालय को 31 से 144 दिनों के बीच के विलम्ब के साथ वर्ष 2013-14 हेतु तिमाही प्रगति रिपोर्ट देरी से प्रस्तुत की थी। ति.प्र.रि./उपयोग प्रमाण पत्रों तथा अन्य अपेक्षित सूचना का समय पर गैर-प्रस्तुतीकरण का व्यापक प्रभाव था तथा मंत्रालय, नागालैण्ड सरकार को समय पर पहली तथा दूसरी किश्त जारी नहीं कर सका था।

आयुक्त तथा सचिव, नागालैण्ड सरकार, ने सूचित किया कि वर्ष 2013-14 के दौरान राज्य ने राज्य ससांधन को सहायता से योजना को कार्यान्वित करने का प्रबंध किया था। तथापि, ति.प्र.रि. के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब, राज्य पर मानीटरिंग प्रणाली की प्रभावकारिता की कमी को दर्शाता है।

ओडिशा- 2013-14 तक प्राप्त ₹756.49 करोड़ की अनुदान के प्रति उपयोग प्रमाणपत्र सितंबर 2014 तक मंत्रालय को प्रस्तुत नहीं किए गए थे। राज्य नोडल कार्यालय ने बताया कि यू.सी. जिला स्तरीय कार्यालयों से संबंधित यू.सी. की अप्राप्ति के कारण प्रस्तुत नहीं किया जा सका था।

पंजाब- 2009-10 तथा 2012-14 मे प्राप्त क्रमश: ₹5.92 करोड़ तथा ₹372.39 करोड़ की केन्द्रीय सहायता के उपयोग प्रमाणपत्र मंत्रालय को प्रस्तुत नहीं किए गए थे। विभाग ने बताया कि यू.सी. को जल्द ही प्रस्तुत किया जाएगा (अक्टूबर 2014)

4.3.2 उपयोग प्रमाणपत्रों में अव्ययित शेषों का गल सूचित किया जाना

पांच राज्यों ने नीचे तालिका 4.4 में दिए गए विवरणों के अनुसार निधियों के उपयोग की वास्तविक स्थिति का निर्धारण किए बिना, गलत उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए:

तालिका 4.4 गलत उपयोग प्रमाणपत्रों के मामलें

क्र.सं.	राज्य	उपयोग प्रमाणपत्रों के मामलें
1.	**बिहार**	राज्य सरकार ने गैर-आवर्ती शीर्ष के अंतर्गत मार्च 2014 को शून्य अव्ययित शेष सूचित किया था जबकि ₹88.49 करोड़ का अव्ययित शेष रोकड़ वही में दर्शाया गया था।
2.	**गुजरात**	मंत्रालय ने राज्य सरकार को निर्माण कार्यों, रसोईघर उपकरणों की खरीद, गैस कनेक्शन तथा एम.एम.ई. हेतु 2006-07 तथा 2012-13 के बीच ₹166.27 करोड़ जारी किए थे। तथापि, राज्य सरकार ने इस तथ्य, कि निर्माण कार्य मार्च 2014 तक अपूर्ण थे तथा निधियां अभी भी बैंक खाते मे अप्रयुक्त पड़ी थीं, के बावजूद पूर्ण राशि हेतु मंत्रालय को उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया।
3.	**हरियाणा**	राज्य ने मार्च 2012 को उपयोग प्रमाणपत्र मे भोजन पकाने की लागत के अंतर्गत ₹18.20 करोड़ का अव्ययित शेष सूचित किया था जबकि वह वास्तव में ₹18.37 करोड़ थे।
4.	**नागालैण्ड**	राज्य ने मंत्रालय को प्रस्तुत उपयोग प्रमाणपत्र में ₹0.59 करोड़ की कीमत के चावल की राशि को नहीं दर्शाया था। अन्य मामले में, नोडल विभाग ने ₹8.30 करोड़ (केन्द्रीय सहायता) की राशि को नहीं दर्शाया था। अन्य मामले में नोडल विभाग ने ₹8.30 करोड़ (केन्द्रीय सहायता) को 25.3.2013 को सिविल जमा में रखा तथा राशि को 30.3.2013 (₹3.45 करोड़) तथा 30.10.2013 (₹4.85 करोड़) को दो किश्तों मे आहरण किया गया था। तथापि, ₹4.85 करोड़ की राशि, जिसका वर्ष 2013-14 में आहरित किया गया था, को मंत्रालय को प्रस्तुत उपयोग प्रमाण पत्र में वित्तीय वर्ष 2012-13 हेतु व्यय के रूप में सूचित किया गया था। व्यय आकड़ों की गलत सूचना का परिणाम वर्ष 2012-13 हेतु बढ़ाए हुए व्यय आकड़े में भी हुआ।
5.	**उत्तर प्रेदश**	• हरदोई जिले ने 2009-10 हेतु यू.सी. मे भोजन पकाने की लागत के प्रति ₹15.20 करोड़ के अंत शेष के प्रति केवल ₹2.48 करोड़ को दर्शाया था। • अन्य मामले में मंत्रालय को प्रस्तुत यू.सी. ने ₹72.90 करोड़ के व्यय को दर्शाया जबकि लेखापरीक्षित तुलन पत्र ने 2009-13 के दौरान एम.एम.ई. पर कुल व्यय को ₹57.88 करोड़ के रूप मे दर्शाया था। इस प्रकार, मंत्रालय को ₹15.02 करोड़ का अधिक व्यय सूचित किया गया था।

4.3.3 अव्ययित शेषों का सूचित न किया जाना

एम.डी.एम. दिशानिर्देशों का पैरा 5.1.9 अभिकल्पना करता है कि मंत्रालय को उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करते समय अव्ययित शेष को सभी स्तरों अर्थात् राज्य, जिला, ब्लाक तथा विद्यालय, पर नगद शेष पर विचार करने के पश्चात ही निकाला जाना चाहिए। लेखापरीक्षा ने पाया कि 9 राज्यों[12] में ₹89.84 करोड़ के अव्ययित शेष को ब्लाक/जिला स्तर पर कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा राज्य नोडल विभाग को सूचित नहीं किया गया था। इस प्रकार, अव्ययित शेष को सूचित न किए जाने के कारण इसकी राज्य नोडल विभाग द्वारा प्रस्तुत उपयोग प्रमाणपत्र में गणना नहीं की जा सकी थी तथा ₹89.84 करोड़ की पूर्ण राशि, उन राज्यों के प्रमाणित लेखाओं के, क्षेत्र से बाहर रही।

4.3.4 कमजोर आंतरिक नियत्रण प्रक्रिया

केन्द्रीय सहायता के प्रति अव्ययित शेष को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् मंत्रालय को वापस किया जाना था अथवा मंत्रालय द्वारा अगले वित्तीय वर्ष में प्रदान किए जाने वाली केन्द्रीय सहायता के प्रति इसका समायोजन किया जाना था। तथापि लक्षद्वीप में 2009-10 तथा 2013-14 के बीच योजना के अंतर्गत प्राप्त अनुदानों के कुल ₹130.24 लाख के अव्ययित शेषों को न तो मंत्रालय को वापस किया गया था और न ही मंत्रालय द्वारा अगले वित्तीय वर्ष हेतु केन्द्रीय सहायता जारी करते समय इसका समायोजन किया गया था। इसके स्थान पर निधियां, सं.शा.क्षे. सरकार के बचत बैंक खाते में पड़ीं थीं।

सं.शा.क्षे. सरकार द्वारा बैंक में बड़े शेषो का रखना, मंत्रालय में कमजोर आंतरिक प्रक्रिया को दर्शाता है। विभाग ने उत्तर दिया कि ₹130.24 लाख के अव्ययित शेष को मंत्रालय की सलाह से वापस किया जाएगा।

4.3.5 अप्रयुक्त परिवहन सहायता

उत्तराखण्ड में, संवीक्षा ने प्रकट किया कि ₹127.01[13] लाख की परिवहन सहायता मार्च 2012 की समाप्ति पर तीन जिलों अर्थात् पौढ़ी, पिथौरागढ़ तथा उधम सिंह

---

[12] छत्तीसगढ़-₹56.54 लाख, हरियाणा-₹38.90 करोड़, कर्नाटक-₹2.54 करोड़, मध्य प्रदेश-₹3.82 करोड़, मणिपुर-₹1.85 करोड़, लक्षद्वीप-₹1.19 करोड़, ओड़िशा-₹32.73 करोड़, त्रिपुरा-₹3.47 करोड़ तथा उत्तराखण्ड-₹4.77 करोड़

[13] पौढ़ी-₹69.08 लाख, पिथौरागढ़-₹32.09 लाख तथा उधम सिंह नगर-₹25.84 लाख

नगर में अव्ययित पड़ी थी तथा इन जिलों द्वारा अनुवर्ती वर्षों में परिवहन आर्थिक सहायता की अनावश्यकता के संबंध में स्पष्ट संकेत के बावजूद 2012-14 के दौरान इन जिलों को ₹121.55[14] लाख की राशि जारी की गई थी। इसके अतिरिक्त, 2009-14 के दौरान परिवहन सहायता का अव्ययित शेष अलमोड़ा में ₹21.86 लाख से ₹72.07 लाख के बीच था, जबकि टिहरी मे इसे ₹36.61 लाख तथा ₹49.34 लाख के बीच भी, पाया गया था। इसलिए, निधियां वास्तविक आवश्यकता का निर्धारण किए बिना जारी की गई थीं। तथा परिणामस्वरूप अप्रयुक्त रही थीं।

4.4 अनुदान पर अर्जित ब्याज का हिसाब न रखना

दिशानिर्देशों का पैराग्राफ 5.1(9) प्रावधान करता है कि प्रथम शेष (दूसरी किश्त) का निर्गम राज्य सरकार के पास उपलब्ध पिछले वर्ष के अव्ययित शेष के तहत होगा तथा अव्ययित शेष को सभी स्तरों पर स्टाक तथा नगद के शेषों पर विचार करने के पश्चात् प्राप्त किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि कम से कम दस राज्यों में विद्यालय/ब्लाक/जिला/राज्य स्तर पर अनुदान पर ब्याज के रूप में अर्जित ₹103.95 करोड़ की राशि को अनुवर्ती निर्गमों में इसके आगे के समायोजन हेतु उपयोग प्रमाणपत्र में मंत्रालय को सूचित नहीं किया था। अर्जित ब्याज का राज्य-वार विवरण नीचे तालिका 4.5 में दिया गया है।

तालिका 4.5 अर्जित ब्याज के ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य	राशि (₹ करोड़ में)
1.	बिहार	54.46
2.	हरियाणा	5.80
3.	हिमाचल प्रदेश	0.21
4.	झारखंड	1.60
5.	मध्य प्रदेश	26.55
6.	मेघालय	2.72
7.	ओडिशा	5.35
8.	उत्तराखंड	2.98
9.	उत्तर प्रदेश	4.11
10.	चण्डीगढ़	0.17
	कुल	**103.95**

[14] पौढ़ी-₹50.53 लाख, पिथौरागढ़-₹45.63 लाख तथा उधम सिंह नगर-₹25.39 लाख

4.5 दोपहर के भोजन के काम में लगीं एन.जी.ओ. द्वारा दान का संग्रहण

- महाराष्ट्र में, इस्कोन (अंतर्राष्ट्रीय कृष्णा चैतन्य समाज) खाद्य राहत संस्थान[15], मुंबई को वृहत मुंबई नगर निगम (एम.सी.जी.एम.) द्वारा 2008-09 से 269 प्राथमिक विद्यालयों तथा 182 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों को दोपहर का भोजन प्रदान करने के काम में लगाया गया था। वर्ष 2009-14 हेतु इस्कान के वार्षिक लेखाओं से यह पाया गया था कि "इस्कान ने एम.डी.एम. योजना" हेतु विभिन्न विदेशी तथा भारतीय संगठनों से कुल ₹36.08 करोड़ के दान का संग्रहण किया था।
- आन्ध्र प्रदेश में, लेखापरीक्षा ने पाया कि आई.एफ.आर.एफ. ने वर्ष 2009-14 के दौरान ₹30.95 लाख के दान का संग्रहण किया था।
- एम.डी.एम. योजना के नाम पर दान का संग्रहण करने की इस्कान/एन.जी.ओ. का कार्य अनुपयुक्त था क्योंकि योजना केन्द्र सरकार/राज्य सरकारों द्वारा पूर्ण रूप से वित्तपोषित है तथा बच्चों को पका हुआ भोजन प्रदान करने हेतु निधियां निर्धारित मापदण्डों के अनुसार जारी की जा रही थीं।

4.6 अवसंरचना के विकास हेतु निधियां

4.6.1 के.सी.एस. की अवसंरचना हेतु निधियों का अनुपयोग

लेखापरीक्षा ने पाया कि मंत्रालय द्वारा आठ राज्यों में रसोईघर-सह-भण्डार (के.सी.एस.) के निर्माण तथा रसोईघर उपकरणों की खरीद/बदलाव हेतु 2006-07 तथा 2010-11 के बीच जारी ₹283.75 करोड़ की निधियां मार्च 2014 तक अप्रयुक्त पड़ी थी। जिसने हाईजिनिक परिस्थिति में भोजन प्रदान करने के उद्देश्य को विफल किया। यह मंत्रालय द्वारा जारी निधियों के उपयोग की अनुपयुक्त मानीटरिंग को दर्शाता है। राज्य वार विशिष्ट निष्कर्षों का ब्यौरा नीचे तालिका 4.6 में दिया गया है:

---

[15] इस्कान खाद्य राहत प्रतिष्ठान जुलाई 2004 में स्थापित तथा बाम्बे पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1950 के तहत पंजीकृत एक सार्वजनिक धर्मार्थन्यास ब्रांड नाम 'अनामृत' के अंतर्गत आठ राज्यों में एन.डी.एम प्रदान करता है।

तालिका 4.6 निधियों के अनुपयोग के मामले

क्र.सं.	राज्य	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां
1.	आन्ध्र प्रदेश	मंत्रालय ने 200-07 से 2008-09 के दौरान 50529 रसोईघर-सह-भण्डारों का निर्माण करने हेतु ₹303.18 करोड़ जारी किए थे। इसमें से ₹198.33 करोड़ का शेष छोड़ते हुए केवल ₹104.85 करोड़ का उपयोग किया गया था। इसी प्रकार, मंत्रालय द्वारा 2006-08 के दौरान रसोईघर उपकरणों हेतु जारी ₹39.23 करोड़ की निधियों मे से ₹14.14 करोड़ की राशि अप्रयुक्त रही।
2.	छत्तीसगढ़	जिला पंचायत महासमुंद ने जिले मे स्थित 71 शहरी विद्यालयों मे 71 रसाईघर सह-भण्डरों का निर्माण करने हेतु पांच शहरी स्थानीय निकायों (यू.एल.बी.) को ₹27.72 लाख जारी (फरवरी 2009) किए थे परंतु पॉच वर्षों के बीत जाने के पश्चात् भी निर्माण कार्य आरम्भ नही किया गया था जबकि राशि कार्यकारी अभिकरणों के पास व्यर्थ थी।
3.	हरियाणा	राज्य सरकार द्वारा 1336 के.सी.एस के निर्माण हेतु मार्च 2007 में कार्यान्वयन अभिकरण (हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद) को जारी ₹8.02 करोड़ की निधियां अप्रयुक्त रही।
4.	कर्नाटक	2008-09 के दौरान मंत्रालय ने ₹60,000 की एकाई दर पर 1,293 रसोईघर सह-भण्डार के निर्माण को संस्वीकृत किया था। राज्य सरकार ने कालाबुर्गई जिला को ₹7.76करोड़ जारी (फरवरी2009) किए थे परंतु इसे आगे विद्यालयों को जारी नहीं किया गया था तथा पूर्ण राशि सरकारी खातों मे रहीं। (जनवरी 2015)
5.	केरल	1285 रसोईघर सह-भण्डरों (के.सी.एस.) के निर्माण हेतु 2006-07 के दौरान जारी ₹7.71 करोड़ की केन्द्रीय सहायता में से ₹2.90 करोड़ की अनुमानित लागत के 483 के.सी.एस. का कार्य अभी भी प्रारम्भ किया जाना था। इसके अतिरिक्त, 2009-10 के दौरान 1165 के.सी.एस हेतु बाद में जारी ₹17.73 करोड़ की पूर्ण निधियां भी अप्रयुक्त रही।
6.	मणिपूर	मंत्रालय ने 1650 रसोई घर उपकरणों के प्रापण हेतु ₹82.50 लाख की राशि जारी (सितंबर 2009) की थी जिसका राज्य सरकार द्वारा, राज्य वित्त विभाग द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के कारण उपयोग नहीं किया जा सका था। मंत्रालय द्वारा के.सी.एस. के निर्माण हेतु मार्च 2011 में जारी ₹29.72 करोड़ की केन्द्रीय सहायता को राज्य सरकार को संस्वीकृत तथा जारी नहीं किया गया था।
7.	पश्चिम बंगाल	मुर्शिदाबाद तथा बीरभय जिले में रसोई घर शैडों के निर्माण हेतु 2007-11 के दौरान जारी ₹3.55 करोड़ की राशि का मार्च 2014 तक उपयोग नहीं किया जा सका था।
8.	दादरा एवं नगर हवेली	मंत्रालय ने 50 रसोई घर-सह-भण्डारों के निर्माण हेतु अक्टूबर 2011 में ₹49.28 लाख की गैर-आवर्ती केन्द्रीय सहायता जारी की थी। राशि का मार्च 2014 तक अभी भी उपयोग किया जाना था।

4.6.2 रसोई घर-सह-भण्डार पर निधियों की निष्फल संस्वीकृति तथा निर्गम

लेखापीक्षा ने पाया कि चार राज्यों में ₹19.82 करोड़ को निधियों को या तो उन विद्यालयों जहां रसोई घर-सह-भण्डार (के.सी.एस.) पहले ही स्थापित थे को जारी किया गया था या फिर विद्यालयों की मौजूदा संख्या हेतु आवश्यकता से अधिक में जारी किया गया था। विशेष मामलों को नीचे स्पष्ट किया गया है:

मेघालय- दो उप-मण्डलीय विद्यालय शिक्षा अधिकारियों (एस.डी.एस.ई.ओ.) सोहरा तथा अमलारेम को उन विद्यालयों, जिनमें पहले से ही के.सी.एस. हैं, हेतु ₹1.07 करोड़ जारी किए गए थे। निर्गम सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) के साथ अभिसरण में किए गए थे।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि 2012-13 के दौरान, ₹1.08 करोड़ की राशि एस.डी.एस.ई.ओ., जोवाई तथा खलीहरीयत को संशोधित दर के अनुसार 40 विद्यालयों में के.सी.एस. के निर्माण हेतु जारी की गई थी। तथापि, इन विद्यालयों को 2008-09 में ₹60,000 प्रति इकाई की पुरानी दर पर पहले ही के.सी.एस. की संस्वीकृति प्रदान की गई थी। इस प्रकार, संशोधित संस्वीकृति जारी करने का कार्य अनियमित था।

ओडिशा में, एम.डी.एम.के अंतर्गत शामिल 66388 विद्यालयों के प्रति रसोईघर शैडो को निर्माण हेतु निधियों की मांग करते समय मंत्रालय को 69152 विद्यालय बताए गए थे। इस बढ़ाए गए आकड़े के आधार पर मंत्रालय ने ₹60000 प्रति विद्यालय पर राज्य के 69152 प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में रसोईघर शैडो के निर्माण हेतु ₹405.80 करोड़ जारी (2006-07 से 2009-10) किए तथा राज्य सरकार ने मंत्रालय से आधिक्य में ₹16.58 करोड़ प्राप्त किए क्योंकि 2009-10 के दौरान 66388 विद्यालय उपलब्ध थे। यह विद्यालयों की संख्या के गलत डाटा के आधार पर अधिक केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने का संकेतक है।

इसी प्रकार, **हरियाणा** में, मार्च 2012 में जारी ₹1.09 करोड़ के बैक ड्राफ्ट को विद्यालय प्रबन्धन समिति द्वारा इस आधार पर वापस कर दिया गया था कि विद्यालय जिनके लिए राशि प्रत्याशित थी उनमें पहले ही रसोईघर सह भण्डार थे। यह खराब योजना तथा समन्वय को दर्शाता है।

4.6.3 रसोईघर सह भण्डार के निर्माण के प्रति जारी ₹55.20 लाख की निधियों का पांच वर्षों से अधिक के लिए अवरोधन

₹55.20 लाख की केन्द्रीय सहायता 92 रसोईघर सह भण्डरों के निर्माण हेतु 2008-09 के दौरान पुदुचेरी को जारी को गई थी। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि निधियां दिसंबर 2014 तक अप्रयुक्त पड़ी थीं। यह इसलिए हुआ क्योंकि उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सभी विद्यालय में एम.डी.एम. की आपूर्ति प्रदान करने हेतु 12 केन्द्रीय रसोईघर तथा 52 विद्यालय कैन्टीन केन्द्र (एस.सी.सी.) पहले ही अस्तित्व में थे। इस प्रकार, ₹55.20 लाख पांच वर्षों से अधिक के लिए अप्रयुक्त तथा अवरूद्ध रहे।

इसके अतिरिक्त, सचिव (एस.ई.एण्ड एल), एम.एच.आर.डी. ने समीक्षा बैठक (फरवरी 2012) में सलाह दी कि यू.टी.सरकारों को जहां कहीं संभव हो विद्यालय आधारित रसोई घरों को बढ़ावा देने के प्रयास करने चाहिए तथा केवल विशेष परिस्थितियों में केन्द्रीकृत/क्लस्टर रसोई घरों को बढ़ावा देना चाहिए। तथापि नोडल विभाग उनके निर्देशों पर कार्य करने में विफल रहा।

4.6.4 राज्य सरकार द्वारा डाटा को सूचित न किया जाना

आन्ध्र प्रदेश- राज्य सरकार ने, मंत्रालय से के.सी.एस. हेतु केन्द्रीय सहायता की मांग करते समय, डाटा को गलत प्रस्तुत किया था जैसा नीचे ब्यौरा दिया गया है:

विद्यालयों की संख्या जिनके लिए 2006-07 से 2011-12 तक केन्द्रीय सहायता प्राप्त की गई	75,283
2011-12 में राज्य में कुल विद्यालयों की संख्या (ए.डब्ल्यू.पी.एण्ड बी. 2012-13 के अनुसार)	74,263
विद्यालयों की संख्या जिनमें 2006-07 को पहले ही रसोई घर शैड मौजूद थे	25,203
2011-12 के दौरान केन्द्रीकृत रसोईघर के माध्यम से एन.पी.ओ. द्वारा एम.डी.एम. प्रदान किए विद्यालयों की संख्या	2,420
विद्यालयों की संख्या जिनमें रसोई घर शैड की आवश्यकता है (74263-25203-2400)	46,640
विद्यालयों की संख्या जिनके लिए जी.ओ.आई. से अधिक वित्तीय सहायता प्राप्त की गई थी (75283-46640)	28,643

इस प्रकार राज्य सरकार ने उन विद्यालयों जिनमे के.सी.एस. की आवश्यकता थी, के डाटा को बढ़ा कर अधिक केन्द्रीय सहायता प्राप्त की।

मंत्रालय ने, दिसंबर 2009 में के.सी.एस. के निर्माण की लागत का संशोधन किया जो राज्य दर सारणी (एस.ओ.आर.) तथा विद्यालय में बच्चों की संख्या पर निर्भर प्लिन्थ क्षेत्र मापदण्ड पर आधारित था। के.सी.एस के निर्माण की लागत को केन्द्र तथा एन.ई.आर राज्यों के बीच 90:10 पर तथा अन्य राज्यों/यू.टी. के साथ 75:25 आधार पर बांटा जाना था।

मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार आन्ध्र प्रदेश में प्लिन्थ क्षेत्र की तीन श्रेणियां थीं:

श्रेणी	विद्यालय में बच्चों की संख्या	अनुमानित लागत (₹लाख में)	मौजूद विद्यालयों की संख्या	जी.ओ.आई. को प्रस्तावित विद्यालयों की संख्या
प्लिंथ-I	100 से नीचे	0.80	7070	शून्य
प्लिंथ-II	100 से अधिक तथा 250 से नीचे	1.00	12745	शून्य
प्लिंथ-III	250 से अधिक	1.50	4939	24754
	कुल	**3.30**	**24754**	**24754**

लेखापरीक्षा ने राज्य सरकार को प्लिन्थ-III श्रेणी (250 से अधिक छात्र संख्या वाले 4939 विद्यालयों के प्रति) के अंतर्गत 24754 रसोईघर सह भण्डारों के निर्माण हेतु निधियों की मांग करते पाया, जिसे मंत्रालय द्वारा फरवरी 2012 में संस्वीकृत किया गया था। इस प्रकार, राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत डाटा गलत था तथा ₹84.91 करोड़ की अधिक केन्द्रीय सहायता का कारण बना।

4.7 इस्कान, मुंबई को अधिक भुगतान

योजना मंत्रालय द्वारा कार्यान्वयन अभिकरणों को सबसे पास के एफ.सी.आई. गोदाम से प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक के बच्चों को क्रमश:100 ग्राम तथा 150 ग्राम प्रति बच्चा प्रति विद्यालय दिवस की दरपर मुफ्त अनाज (चावल/गेहूं) की आपूर्ति का प्रावधान करती हैं। पके हुए भोजन में अपेक्षित कैलोरी तथा प्रोटीन प्रदान करने हेतु उपयोग किए जाने वाले अन्य सामग्रियों (दाल, सब्जियां, मसाला,

तेल, नमक, आदि) की प्रमात्रा को भी योजना दिशानिर्देशों के अंतर्गत निर्धारित किया गया हैं।

- लेखापरीक्षा ने पाया कि 2010-11 से 2013-14 की अवधि के दौरान प्रदान भोजन हेतु इस्कान ने 68561.81 क्विटंल चावल की निर्धारित आवश्यकता के प्रति केवल 21511.60 क्विटंल चावल उठाया था। इस प्रकार, इस्कान द्वारा चावल की औसतन खपत केवल 40 ग्राम थी। इस मापदण्ड के आधार पर अन्य सामग्रियों का अनुपात भी सीमा से कम होगा।
- तथापि, यह देखा गया था कि भोजन पकाने की लागत[16] का भुगतान इस्कान को 2010-14 के दौरान पूर्ण दर पर किया गया था जिसका परिणाम इस्कान को ₹11.67 करोड़ के अधिक भुगतान में हुआ। इसके अतिरिक्त 2010-14 के दौरान इस्कान द्वारा तैयार 187 भोजन नमूनों के जाँच परिणामों ने प्रकट किया कि भोजन निर्धारित मानकों को पूरा करने में विफल थे। इस्कान को किया गया वास्तविक भुगतान तथा 40 ग्राम की दर पर उपयोग किए गए चावलके आधार पर भोजन पकाने की लागत हेतु वास्तव में स्वीकार्य भुगतान को नीचे तालिका 4.7 में दर्शाया गया है:

तालिका 4.7 चावल की खपत के आधार पर इस्कान को स्वीकार्य भुगतान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्राथमिक स्तर			उच्च प्राथमिक स्तर			किया गया कुल भुगतान (प्राथमिक+उच्च प्राथमिक)	कालय 8 का 1/3 स्वीकार्य भुगतान
	प्रदान किए गए भोजन	प्रति भोजन की दर पर किए गए अन्य सामाग्री हेतु भुगतान	किया गया भुगतान	प्रदान किए गए भोजन	प्रति भोजन की दर पर किए गए अन्य सामाग्री हेतु भुगतान	किया गया भुगतान		
2010-11	7973668	2.09	1.66	6348672	2.60	1.65	3.32	1.11
2011-12	8597121	2.60	2.23	6976135	3.85	2.69	4.92	1.64
2012-13	7248008	2.80	2.02	5915936	4.15	2.45	4.48	1.49
2013-14	7070332	3.02	2.13	5915936	4.47	2.64	4.78	1.59
					कुल	**9.43**	**17.50**	**5.83**

स्त्रोत: वृहत मुंबई नगर निगम (एम.सी.जी.एम.) द्वारा प्रस्तुत सूचना

[16] भोजन पकाने की लागत का तात्पर्य अन्य सामग्रियों, सब्जियों तथा ईंधन की लागत है।

उत्तर में, वृहत मुंबई नगर निगम (एम.सी.जी.एम) ने बताया (दिसबंर 2014) कि इस्कान को भुगतान राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार किया गया था। तथ्य है कि इस्कान औसतन केवल 40 ग्राम चावल प्रति भोजन का उपयोग कर रहा था जैसा ऊपर निकाला गया है तथा राज्य सरकार को पूर्ण भुगतान जारी करने से पूर्व "अन्य सामाग्रियों सहित भोजन पकाने की लागत" हेतु आनुपातिक भुगतान के निर्गम पर विचार करना चाहिए।

4.8 ₹64.41 लाख का गबन

छत्तीसगढ़ में, ब्लाक शिक्षा कार्यालयों (बी.ई.ओ.) में सरकारी धन के गबन के संदिग्ध मामले पाए गए थे जैसा नीचे तालिका 4.8 में दिया गया है:

तालिका 4.8 संदिग्ध गबन के मामले

क्र.सं.	बी.ई.ओ. का नाम	राशि	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति
1.	राजनन्दगांव	₹29.03 लाख	2005-06 से 2010-11 के दौरान ₹81.81 लाख की राशि क्लस्टर अकादमिक कॉरीडोर (सी.ए.सी.) को विद्यालयों के एस.एच.जी. तथा सी.सी.एच. को भोजन पकाने की लागत तथा मानदेय के संवितरण हेतु प्रदान किए गए थे परंतु केवल ₹52.78 लाख का नगद संवितरण किया गया था तथा शेष ₹29.03 लाख की राशि का गबन किया गया था। लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किए जाने पर बी.ई.ओ. ने बताया कि सी.ए.सी. के विरूद्ध एफ.आई.आर दर्ज (फरवरी 2012) कर दी गई थी।
2.	चौकी	₹35.38 लाख	₹35.38 लाख की राशि का बी.ई.ओ. द्वारा अप्रैल 2011 तथा जून 2013 के बीच 36 सैल्फ चैको के माध्यम से आहरण किया गया था परंतु इसका एम.डी.एम. उद्देश्य हेतु उपयोग नहीं किया गया था। इसे इंगित किए जाने पर विभाग ने बताया कि बी.ई.ओ. के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करा दी गई है तथा मामला न्यायालय में अनिर्णित है।

4.9 राज्य अंश का कम निर्गम

अभिलेखों की जांच ने प्रकट किया कि तीन राज्यों में राज्य सरकार द्वारा 2009-14 के दौरान कुल ₹114.78 करोड़ के अपने संबंधित अंश की निधियों का कम निर्गम किया गया था जैसा नीचे तालिका 4.9 में दिया गया है:

तालिका 4.9 राज्य अंश के कम निर्गम के मामले

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	जारी की जाने वाली राशि	वास्तविक निर्गम	कमी
1.	आन्ध्र प्रदेश	92.83	शून्य	92.83
2.	झारखंड	97.87	76.12	21.75
3.	नागालैंड	1.61	1.41	0.20
			कुल	**114.78**

राज्य अंश की कमी ने प्रतिकूल रूप से योजना के कार्यान्वयन हेतु निधियों की उपलब्धता को प्रभावित किया है।

4.10 अन्य वित्तीय अनियमितताएं

(i) निधियों का अवरोधन

दो नमूना जांच किए गए राज्यों में अभिलेखों की जांच ने ₹2.50 करोड़ की निधियों के अवरोधन के उदाहरणों को प्रकट किया जैसा नीचे तालिका 4.10 में दिया गया है:

तालिका 4.10 निधियों के अवरोधन के मामले

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	निर्गम की अवधि	राशि
1.	मध्य प्रदेश	2006-07 से 2011-12	1.75
2.	ओडिशा	अप्रैल 2012 से अगस्त 2012	0.75
		कुल	**2.50**

(ii) मेघालय में 2009-14 के दौरान सी.सी.एच को मानदेय के भुगतान के प्रति व्यय की गई कुल राशि ₹62.76 करोड़ थी, जबकि मापदण्डों के अनुसार मानदेय हेतु कुल स्वीकार्य व्यय ₹61.96 करोड़ (एक वर्ष में 10 महीनों हेतु ₹1000 प्रति माह प्रति सी.सी.एच. पर परिकलित) होना चाहिए। इसका परिणाम 2009-14 के दौरान ₹80 लाख के अधिक व्यय में हुआ।

iii) वैट का अधिक भुगतान-उत्तराखण्ड मूल्य सवंर्धित कर 2005, के अनुसार, पी.डी.एस. के माध्यम से अनाज की बिक्री वैट के उदग्रहण से घूट प्राप्त हैं परंतु लेखापरीक्षा ने पाया कि एफ.सी.आई. ने 2010-14 के दौरान एम.डी.एम. हेतु अनाज पर बैट लगाया था तथा ₹2.16 करोड़ की राशि राज्य के जिला नोडल

कार्यालयों द्वारा वैट के रूप अदा की गई थी, जिसका परिणाम ₹2.16 करोड़ के अधिक व्यय में हुआ।

iv) नमूना जांच किए गए **उत्तर प्रदेश** के जिला गाजीपुर में लेखापरीक्षा ने पाया कि ₹20.45 लाख का अधिक व्यय 2011-14 के दौरान, मापदण्डों के विरूद्ध भोजन पकाने की लागत पर किया गया था।

v) क्लस्टर रसोई घरों को चालू करने में विलम्ब तथा गैर-इस्टतम उपयोग के कारण, भोजन पकाने की लागत पर ₹5.61 करोड़ का परिहार्य व्यय

चण्डीगढ़ में, 10,000 से 15,000 भोजन प्रति दिन प्रति रसोईघर की भोजन पकाने की क्षमता वाले सात क्लस्टर रसोईघर-सह-भण्डरों का, चण्डीगढ़ के सभी 116 विद्यालयों को पके हुए भोजन की आपूर्ति हेतु, वर्ष 2009-10 के दौरान ₹1.51 करोड़ की कुल लागत पर, निर्माण किया गया था।

जबकि एक क्लस्टर रसोईघर को अप्रैल 2012 में चालू किया गया था तथा शेष छ: जूलाई 2013 में चालू किए गए थे। लेखापरीक्षा ने पाया कि क्लस्टर रसोईघरों का उनकी इस्टतम क्षमता तक उपयोग नहीं किया गया था क्योंकि इन रसोईघरों में भोजन केवल उन्ही सात विद्यालयों हेतु बनाया गया था जिनमे वह स्थित थे। शेष 109 विद्यालयों हेतु भोजन की आपूर्ति, भोजन पकाने वाले तीन संस्थानों (सी.आई.एच.एम., ए.आई.एच.एम., सी.आई.टी.सी.ओ.) द्वारा की गई थी। क्लस्टर रसोईघर में ₹5.71 प्रति भोजन की औसत भोजन पकाने की लागत, भोजन पकाने वाले संस्थानों को अदा की गई ₹7.25 प्रति भोजन की औसतन भोजन पकाने की लागत से कम थी। इस प्रकार, विभाग क्लस्टर रसोई घरों के प्रत्याशित लाभ प्राप्त करने मे विफल रहा तथा परिणामस्वरूप उनके निर्माण पर उपयोग की गई ₹1.51 करोड़ की राशि बड़े पैमाने पर निष्फल प्रस्तुत हुई थी। प्रक्रिया में, इसने 2011-12 से 2013-14 के दौरान 3,64,28646 भोजन की आपूर्ति करने हेतु, भोजन पकाने वाले संस्थानों को अदा की गई उच्च लागत के प्रति ₹5.61 करोड़ का अधिक व्यय भी किया।

विभाग ने अपने उत्तर (दिसबंर 2014) में बताया कि कोई अधिक व्यय नहीं था क्योंकि लेखापरीक्षा ने श्रम तथा अन्य उपरि प्रभारों की गणना नहीं की थी। विभाग का उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि लेखापरीक्षा ने विद्यालय आधारित क्लस्टर रसोईघरों द्वारा पकाए गए भोजन की औसतम लागत को परिकलित

करते समय, सभी अनिवार्य संघटको अर्थात् खाद्य पदार्थों की लागत, श्रम लागत, एल.पी.जी. की लागत तथा अन्य प्रासंगित प्रभारों पर ध्यान दिया था।

vi) गनी बोरों का निपटान

एफ.सी.आई. बच्चों को भोजन प्रदान करने हेतु अनाज प्रदान करता है। अनाज को विभिन्न अभिकरणों द्वारा बोरो में एफ.सी.आई. से विद्यालयों तक ले जाया जा रहा था। मंत्रालय द्वारा जारी योजना दिशानिर्देशों (दिसबंर 2004) ने विचार किया था कि अनाज के खाली थैली का ग्राम शिक्षा समिति/अभिभावक शिक्षक संघ/विद्यालय प्रबंधन सह विकास समिति/विद्यालय प्रबंधन द्वारा एक पारदर्शी ढंग से निपटान किया जाना चाहिए जिससे उत्तम संभावित मूल्य उत्पन्न किया जा सके तथा इसकी बिक्री प्राप्तियों का एम.डी.एम. योजना के आगे के संवर्धन हेतु उपयोग किया जाना चाहिए। तथापि, एम.डी.एम. दिशानिर्देश 2006 खाली बोरो के निपटान के संबंध में अनभिव्यक्त थे। किसी भी दिशानिर्देश के अभाव में विद्यालयों ने बोरो के निपटान हेतु कोई कार्रवाई नहीं की थी। परिणामस्वरूप बोरो की बिक्री प्राप्तियों के कारण राजस्व प्राप्त करने का अवसर खो दिया गया था। केवल छः राज्यों में ₹87.85 करोड़ के मूल्य के खाली बोरे बिना हिसाब के रहे। ब्यौरे **अनुबंध-XVI** में दिए गए हैं।